10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 विलोपित

44

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 पुनर्विलोकन रिव्यु- 374 - I-17

श्री राम-प्री. भटनागर द्वारा आज दि. 30-1-17 को प्रस्तुत 30-1-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनीतराम शर्मा पुत्र स्व. श्री रामदीन शर्मा निवासी- ग्राम हड़वासी तह.जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1. महिला ऊषा पत्नी वीरेन्द्र
2. संजय ⟶ पुत्रगण वीरेन्द्र
3. विनोद
4. प्रमोद नाबालिग पुत्र वीरेन्द्र सरपरस्ती माता स्वयं ऊषा

   समस्त निवासीगण–ग्राम हड़वासी तह. जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)
5. ज्योति पत्नी भैरों शर्मा निवासी–ग्राम खुटयानीहार, तह. जौरा जिला मुरैना (म.प्र.)

...........अनावेदकगण

Filed by MP Bhatnagar Adv.

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 3991/I/2015 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 से व्यथित होकर।

श्रीमान जी,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यहकि, भूमि स्वामी जसराम की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमियों पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने के बाबत् अनावेदक वीरेन्द्र द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं एक आवेदन पत्र वारिसाना के आधार पर पुनर्विलोकनकर्ता द्वारा नामांतरण किये जाने बाबत प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 26.02.2009 से विवादित भूमियों पर मृतक जसराम के स्थान पर वसीयतनामा के आधार पर आवेदक वीरेन्द्र का नामांतरण स्वीकार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 374–एक/17 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक की ओर से श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3991–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 19.10.16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक रिव्यु 374–एक/17 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 3991–एक/17 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 19.10.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 374–एक/17 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य